न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी: रेशमा खान (लिंक अधिकारी)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 231/2026
सी.एन.आर. नंबर–RJSM070007222026

1. प्रवीण पुत्र जसराम उम्र 25 साल, निवासी गोटियापुरा थाना नादौती जिला करौली, राज.।
2. सोनू पुत्र देशराज उम्र 21 साल, निवासी गावडयापुरा थाना कुडगांव जिला करौली, राज.।
3. केशराम पुत्र अमरफल उम्र 24 साल, निवासी खिरखिडी डावरा थाना सपोटरा जिला करौली, राज.।

––––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, गंगापुर सिटी।

––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा–483 BNSS
FIR No. 110/2026, पुलिस थाना पीलौदा, जिला–सवाई माधोपुर
अपराध अन्तर्गत धारा 115(2),126(2),140(2),189(2) BNS

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	**प्रथम**
घटना की दिनांक	27.05.2026
अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की दिनांक	28.05.2026

उपस्थितः–

1. श्री रूपसिंह गुर्जर, अधिवक्ता–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ओ. परिवादीकी ओर से।

आदेश

दिनांक : 05.06.2026

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–480 BNSS खारिज किये जाने पर उक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 BNSS पेश किया गया। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिए कि प्रार्थी के विरूद्ध यह प्रकरण झूंठा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिक समय तक हिरासत में रहने से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व उसके परिवार की सख्त आर्थिक बर्बादी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी का प्रश्न नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को डराने धमकाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कहीं भागने या फरार होने का भी कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने राजीनामा परिवादी खुशीराम व मजरूब लवकुश का प्रस्तुत करते हुए दोनों पक्षों के बीच पांच आदमियों के समझाने व लोक अदालत

की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो जाने तथा मुलजिमान के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहने तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना कथित किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत **धारा 115(2),126(2),140(2),189(2) BNS** के प्रमाणित पाये गये हैं। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण केशराम व सोनू के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना जाहिर किया तथा प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण के विरूद्ध निम्न आपराधिक प्रकरण होना जाहिर किया।

क्र.सं.	मुकदमा नंबर एवं थाना	धारा	चार्जशीट मय दिनांक
1	181/2025 थाना कुडगांव	281, 125 ए बीएनएस	33/01.12.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी खुशीराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना उदेई मोड में इस आशय की पेश की कि वह ग्राम बर्रिया थाना कुडगांव करौली का मूल निवासी है। वह उसका बडा भाई लवकुश व उसकी बहन सपना तीनों रीको में डी एस स्कूल के बगल में किराये के मकान में रहते है। आज दिनांक 27.05.2026 को शाम को करीब 6.30 पीएम पर उसका बडा भाई लवकुश, लोकेश जोगी के साथ दुकान से सामान लेकर आ रहे थे, तभी एक स्विफ्ट गाडी जिसके नंबर आरजे 34 सीबी 0396 थे, उसमें से तीन चार लडके नीचे उतरे व उसके भाई लवकुश को जबरदस्ती उठाकर गाडी में पटककर अपहरण करके ले गये व बाद में

अपहरणकर्ता उसके भाई के फोन से हंसराज गुर्जर जो उसके भाई का दोस्त है, उससे फिरौती की मांग कर रहे है.. इत्यादि पर पुलिस थाना उदेई मोड पर FIR No. 110/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 140(2) BNS में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक **28.05.2026** को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का धारा 480 बी.एन.एस. का जमानत आवेदन न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुरसिटी द्वारा दिनांक **02.06.2026** को खारिज किया जा चुका है।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 115(2),126(2),140(2),189(2) BNS** का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक **28.05.2026** से अभिरक्षा में हैं। केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर आता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा अपने पूछताछ नोट में लवकुश सैनी को छोडने के लिए 50,000/–रूपये की मांग किये जाने पर लवकुश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त सोनू के मोबाईल में 1,000/–रूपये डलवाया जाना कथित किया है तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से उक्त 1,000/–रूपये की राशि का फोन पे स्क्रीन शॉट शामिल पत्रावली किया जाना दर्शित होता है। आहत लवकुश के चोट प्रतिवेदन में चोट नंबर 1 ABRASION तथा चोट नंबर 2 व 3 PAIN– left shoulder व right cheek में बताया जाना दर्शित किया गया है। परिवादी खुशीराम व मजरूब लवकुश की ओर से राजीनामा प्रस्तुत करते हुए दोनों पक्षों के बीच पांच आदमियों के समझाने व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो जाने तथा मुलजिमान के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहने तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत लिये जाने में

कोई आपत्ति नहीं होना कथित किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण केशराम व सोनू पर पूर्व का कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना तथा प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण लंबित होना केस डायरी के अवलोकन से जाहिर आता है, परंतु केवलमात्र आपराधिक प्रकरण होने के आधार पर जमानत दिये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी शेष होना केस डायरी के अवलोकन से जाहिर नहीं आता है। प्रकरण के अन्वेषण/विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण के समस्त तथ्य–परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:– आदेश –:

परिणामतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रवीण, सोनू व केशराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रत्येक 50,000/– रुपये की जमानत एवं 50,000/– रूपये का स्वयं का बंधपत्र** विचारण न्यायालय के संतोषप्रद हर तारीख पेशी पर उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाता है।

(रेशमा खान)
लिंक अधिकारी
अपर सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी

आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रेशमा खान)
लिंक अधिकारी
अपर सेशन न्यायाधीश सं.01, गंगापुर सिटी